

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड राँची।

द्वारा:-वित्त विभाग, झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक :- 04/01/17

विषय:-बिहार राज्य के पुर्नगठन के फलस्वरूप नव सृजित झारखण्ड राज्य के समेकित विकास हेतु राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित रिभर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास तथा प्राकृतिक संतुलन के साथ इसके बहुआयामी उपयोग एवं कुशल प्रबंधन के लिये विस्तृत रणनीति तैयार हेतु गठित झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग हेतु पूर्ण कालिक सदस्यों के पदों का सृजन।

महाशय,

बिहार राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप नवसृजित झारखण्ड राज्य के समेकित विकास हेतु राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित रिभर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता विकास तथा प्राकृतिक संतुलन के साथ इसके बहुआयामी उपयोग एवं कुशल प्रबंधन के लिये विस्तृत रणनीति तैयार करने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत प्रथम झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग का गठन किया गया है। आयोग के गठन से संबंधित संकल्प का प्रकाशन झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में दिनांक 22.05.2015 को किया गया है।

2. आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में सरकारी/गैर सरकारी संगठन से वैसे सेवानिवृत्त ख्याति प्राप्त व्यक्तियों, जो मुख्य अभियंता के समकक्ष पद के वेतनमान रु. 37400-67000, ग्रेड वेतन रु. 8900/- से सेवानिवृत्त हुए हो के पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है।

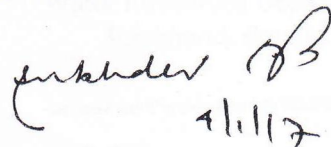
3. आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 08 होगी जिसमें 07 सदस्यों की योग्यता, अनुभव अधिवक्ता आयु सीमा एवं मासिक परिलब्धि संलग्न परिशिष्ट-'क' के अनुरूप होगी।

4. आयोग के पूर्ण कालिक 08 सदस्यों में से एक सदस्य का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, जिसके मनोनयन हेतु इनकी योग्यता एवं परिलब्धि के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

5. इन पदों का सृजन संविदा के आधार पर केवल 03 वर्षों के लिये किया जा रहा है। इस अवधि की गणना आयोग की प्रथम बैठक की तिथि से की जायेगी। इन पदों पर नियुक्त होने वाले प्रत्येक विशेषज्ञों को मानदेय (वाहन तथा मकान भत्ता सहित) एक मुश्त राशि रु. 90,000/- (नब्बे हजार रुपये) प्रति माह अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त यात्रा के लिये नियमानुसार टी.ए./डी.ए. भुगतान होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा देय नहीं होगी।

6. पूर्ण कालिक सदस्यों की संविदा पर नियुक्ति उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी, जिसका संगठनात्मक स्वरूप निम्नवत् होगा :-

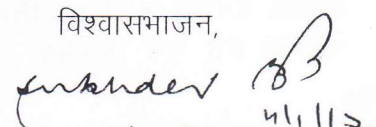
- | | |
|--|----------|
| (i) विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार- | अध्यक्ष, |
| (ii) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार- | सदस्य, |
| (iii) अभियंता प्रमुख-01, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार- | सदस्य, |
| (iv) अभियंता प्रमुख-02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार- | सदस्य। |


11/1/17

7. विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के चयन हेतु इस समिति द्वारा विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर योग्यता एवं अनुभव के लिये निर्धारित माप दण्ड के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार का चयन किया जायेगा।
 8. आवश्यक निधि का उपबंध वर्ष 2016-17 के बजट में किया गया है।
 9. इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उपशीर्ष-14- झारखण्ड सिंचाई आयोग का गठन, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय मद में भारित होगा। इस राशि की निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमंडल सं.-02, राँची होंगे।
 10. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची के कार्यालय से की जायेगी।
 11. इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- इस आदेश की दो अतिरिक्त प्रतियाँ आपके कार्यालय में उपयोग हेतु संलग्न है।

अनु.-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

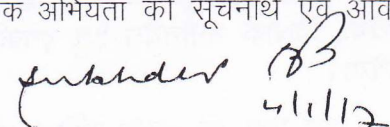

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 38

राँची, दिनांक :- 04/01/17

प्रतिलिपि:-माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड राँची/ निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

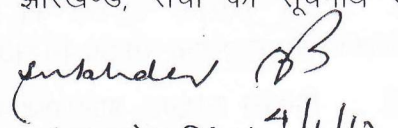

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 38

राँची, दिनांक :- 04/01/17

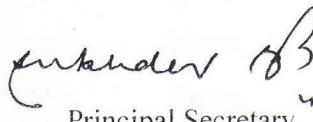
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव।

परिशिष्ट- 'क'

S.N.	Name of Post	Qualification	Experience	Upper Age Limit
1	2	3	4	5
1.	Water Resources Development Specialist	BE/ BTech/ Bsc Engg. in Civil Engineering Discipline. Preference will be given to ME/ MTech/ Msc Engg./ Phd having specialization in the field of Water Resource Engineering.	Minimum 20 years academic/field experience in the field of Water Resources Development	65 years
2.	Water Management Specialist	BE/ BTech/ Bsc Engg. in Civil Engineering Discipline. Preference will be given to ME/ MTech/ Msc Engg./ Phd having specialization in the field of Integrated Water Resource Management.	Minimum 20 years academic/field experience in the field of Integrated Water Resource Management	65 Years
3.	Soil Conservation/ Agriculture Specialist	BE/ BTech/ Bsc Engg. in Agriculture Engineering .Preference will be given to ME/ MTech/ Msc Engg./ Phd having specialization in the field of Soil Water Conservation/ Agronomy.	Minimum 20 years academic/field experience in the field of Soil Water Conservation/ agronomy	65 Years
4.	Economist	MA/Msc/ Phd in Economics	Minimum 20 years academic/field experience in the relevant filed.	65 Years
5.	Industrial Expert	BE/ BTech/ Bsc Engg. in Mechanical/ Industrial/ Production Engineering. Preference will be given to ME/ MTech/ Msc Engg./ MBA/Phd having specialization in the field of Industrial Management & Operation.	Minimum 20 years academic/field experience in the relevant filed.	65 Years
6.	Flood Expert	BE/ BTech/ Bsc Engg. and/or ME/ MTech/ Msc Engg./ MBA/Phd having specialization in the field of Hydrology/ River Engg./ Water Resources Engg.	Minimum 20 years academic/field experience in the relevant filed (Flood Management).	65 Years
7.	Social Scientist	MA/MBA/Phd/MPhill in the field of Sociology/ Anthropology	Minimum 20 years academic/field experience in the relevant filed	65 Years
8.	Expert (To be nominated by the Govt.)	To be determined later	To be determined later	To be determined later


 Principal Secretary,
 Water Resources Department,
 Jharkhand, Ranchi